बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

पत्रांक 24 **पटना, दिनांक** 10/01/2022

संचिका-BRDS/HR/93/2021

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा
आयुक्त,मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बी0आर0डी0 एस0, पटना |

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार |

विषय : **BRDS अन्तर्गत कार्यरत मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संविदा नियोजित कर्मियों के मृत्यु उपरान्त उनके निकटतम आश्रितों को मुआवजे का भुगतान राज्य स्तर से करने के सम्बन्ध में |**

महाशय,

वर्तमान में विभागीय पत्रांक 311722 दिनांक 26.05.2017 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सभी कर्मियों एवं विभागीय पत्रांक 173874 दिनांक 10.01.2014 के अनुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्यक्रम पदाधिकारियों, कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के मृत्यु उपरांत निकटतम आश्रित को उनके मूल मानदेय का 60 गुणा राशि का भुगतान मृत्यु मुआवजा के रूप में सम्बंधित योजनाओं के आकस्मिकता निधि से राज्य स्तर से की जाती है परन्तु मनरेगा अन्तर्गत शेष अन्य पदों के मृत कर्मी के आश्रित को मृत्यु मुआवजा का भुगतान जिला स्तर से किया जाता है । साथ ही BRDS अन्तर्गत जिला एवं राज्य स्तर पर अन्य पदों पर भी नियुक्तियाँ की गयी है जिसका उल्लेख पूर्व के पत्रों में नहीं है| इसके आलोक में सभी BRDS कर्मियों में एकरूपता के लिये मृत्यु मुआवजा का भुगतान सम्बंधित योजनाओं के आकस्मिकता निधि से राज्य स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया है |

पूर्व में केवल दुर्घटना के मामलों में मृत्यु मुआवजा देने का प्रावधान था, परन्तु कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के आलोक में BRDS पत्रांक 1395 दिनांक 08.11.2018 की कंडिका 8 द्वारा दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से भी मृत्यु की स्थिति में मूल मानदेय का 60 गुणा अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान किया गया है | BRDS अन्तर्गत नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान HRMS के माध्यम से किया जा रहा है और HRMS पर कर्मी द्वारा अपने आश्रित का नाम नामित करने का प्रावधान है, HRMS के प्रतिवेदन अनुसार सभी कर्मियों द्वारा अपने आश्रितों को नामित किया गया है |

उपरोक्त के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए है :-

1. BRDS के सभी कर्मियों के सेवा काल में दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु मुआवजा का भुगतान सम्बंधित योजनाओं के आकस्मिकता निधि से राज्य स्तर से किया जायेगा |
2. अनुमान्य मुआवजे का भुगतान HRMS पर नामित आश्रित अथवा नामांकन नहीं होने की स्थिति में मृतक कर्मी के सभी पारिवारिक सदस्यों के द्वारा दिये गये फोटो सहित शपथ पत्र में उल्लेखित परिवार के सदस्य (सदस्यों) को किया जायेगा |

3. मृत्यु मुआवजा का दावा करनेवाले व्यक्ति /आश्रित द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जिला पदाधिकारी /उप विकास आयुक्त को समर्पित किये जायेंगे :-

(i) प्रभावित कर्मी के चिन्हित परिजन के हस्ताक्षर /अंगूठा के निशान से प्रेषित आवेदन पत्र |

(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र |

(iii) HRMS पर आश्रित के नामित होने की स्थिति में नामित आश्रित का फोटो सहित शपथ पत्र |

(IV) HRMS पर आश्रित के नामांकन नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत वंशावली एवं सभी आश्रितों का फोटो सहित शपथ पत्र |

(V) मृतक के निकटतम आश्रित के बैंक पासबुक, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड के स्पष्ट पढ़े जाने योग्य प्रति |

4. जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों की जाँचोपरान्त अनुशंसा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर BRDS को उपलब्ध करायी जायेगी |

5. BRDS द्वारा अनुशंसा प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा |

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, BRDS का अनुमोदन प्राप्त है |

अत: उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय |

विश्वासभाजन

10.01.2022

(सी0पी0 खंडूजा)
आयुक्त मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. BRDS के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई.टी,BRDS को BRDS वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. श्री सुनील कुमार, आई.टी प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।